रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23072021-228432
CG-DL-W-23072021-228432

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जुलाई 11 जुलाई 17, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 20- आषाढ़ 26, 1943
No. 23] NEW DELHI, JULY 11 - JULY 17, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 20 - ASHADHA 26, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 69.—केंद्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक सुरक्षा विनियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर; निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(क) वह भारत का नागरिक या भूटान या नेपाल का प्रजाजन होगा;";

[फा.सं.II-29011/1/2021-Ad (CD)]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 10/2/66-डीजीसीडी (II)(i) तारीख 10 जुलाई, 1968, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में, सा. का. नि 1278 दिनांक 10 जुलाई, 1968 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना संख्या 10/2/75-डीजीसीडी (सीडी) दिनांक 8 सितंबर 1975, भारत के राजपत्र में भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में, सा. आ. 480 (अ) दिनांक 8 सितंबर 1975 के तहत प्रकाशित; के साथ पठित, जो अधिसूचना संख्या 10/5/71-डीजीसीडी (सीडी) दिनांक 30 मार्च, 1973, भारत के राजपत्र में भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा. का. नि 382 दिनांक 14 अप्रैल, 1973 के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th July, 2021

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by section 9 of Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Civil Defence Regulations, 1968, namely:

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Civil Defence (Amendment) Regulations, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Civil Defence Regulations, 1968, in regulation 3, on sub-regulation (1) for clause (a); the following shall be substituted, namely:-

"(a) he shall be a citizen of India, or a subject of Bhutan or of Nepal;" ;

[No.II-29011/1/2021-Ad(CD)]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy.

Note: - The principal notification No.10/2/66-DGCD(ii) (I) dated the 10th July, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1278 dated the 10th July,1968 amended by Notification No.10/5/71-DGCD(CD) dated 30 March, 1973 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 382, dated the 14th April, 1973 and read with Notification No. 10/2/75-DGCD(CD) dated 8th September, 1975 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.480(E) dated the 08.09.1975.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक / कनिष्ठ तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I और श्रेणी-II (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I	34* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर – 5 (29200 - 92300 रू.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के

					लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है । **टिप्पण 2**:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में स्नातक डिग्री । **वांछनीय :** (i) सरकार से मान्यताप्राप्त चिकित्सा या जैव प्रयोगशाला से एक वर्ष का अनुभव । (ii) कंप्यूटर का ज्ञान । **टिप्पण 1:-** अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है (हैं) ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	(i)50% प्रोन्नति द्वारा । (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
ऐसे प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4 (25500 - 81100 रू.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली/ नई दिल्ली में स्थित महानिदेशालय की कोई अन्य संस्था – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय – सदस्य	आवश्यक नहीं।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II	37* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर – 4 (25500 - 81100 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में स्नातक डिग्री। **वांछनीय :** (i) सरकार से मान्यताप्राप्त चिकित्सा या जैव प्रयोगशाला से एक वर्ष का अनुभव। (ii) कंप्यूटर का ज्ञान। **टिप्पण 1:-** अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है (हैं)।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i)50% प्रोन्नति द्वारा। (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
ऐसे कीट संग्राहक से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19900 - 63200 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली/ नई दिल्ली में स्थित महानिदेशालय की कोई अन्य संस्था – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय – सदस्य	आवश्यक नहीं।

[फा. सं. 1-77/2019/प्रशासन.-I]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th July, 2021

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant/Junior Technician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant Grade-I and Grade-II in the National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Laboratory Assistant Grade-I and Grade-II (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix .—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laboratory Assistant Grade-I.	34* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non- gazetted (Non-ministerial).	Level- 5 (Rs.29200-92300).	Non-selection	Between 18 years and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division

					of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed, if any, for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of Recruitment**: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification:- Bachelor degree in Science from a recognised University or Institute. **Desirable :-** (i) One year experience from a Government recognised Medical or Biological Laboratory. (ii) Knowledge of computer. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion from Laboratory Assistant Gr-II in the pay level 4 (Rs.25500-81100) of pay matrix with five years regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of : i) Joint Director or Deputy Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme- Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate. located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not necessary.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Laboratory Assistant Grade-II.	37* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted (Non-ministerial).	Level- 5 (Rs.25500-81100).	Non-selection	Between 18 years and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or

					Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification:- Bachelor degree in Science from a recognised University or Institute. **Desirable :-** (i) One year experience from a Government recognised Medical or Biological Laboratory. (ii)Knowledge of computer. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Insect Collectors in the pay level 2 (Rs.19900-63200) of pay matrix with eight years regular service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :** i) Joint Director or Deputy Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate. located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme -Member.	Not necessary.

[F. No. 1-77/2019/Admn.-I]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 71.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफ़गढ़(समूह'ग' और घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को,जहां तक उनका संबंध दफ्तरी, जमादार, चौकीदार, माली या गार्डनर, वाहक (बियरर), क्लीनर, सफ़ाईवाला या सफ़ाईवाली और चपरासी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र,नजफ़गढ़ में बहु-कार्यकर्मचारीवृंद के विभिन्न समूह-ग पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफ़गढ़ (बहु-कार्य कर्मचारीवृंद) (समूह-ग) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस)	30 (तीस)*(2021) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 1. दफ्तरी, 1 (एक) 2. जमादार, 1 (एक) 3. चौकीदार, 7 (सात) 4. माली/गार्डनर, 4 (चार)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण:**आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित की जाए।

	5. वाहक (बियरर),2 (दो) 6. क्लीनर, 1 (एक) 7.सफ़ाईवाला/सफ़ाईवाली,9 (नौ) 8. चपरासी, 5 (पाँच)				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफ़गढ़ - अध्यक्ष; 2. प्रशासनिक अधिकारी,ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफ़गढ़ - सदस्य; 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए. 12018/23/2015-एम.एच.- II]

राज कुमार,अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 2021

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Rural Health Training Centre, Najafgarh (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Daftry, Jamadar, Chowkidar, Mali or Gardener, Bearer, Cleaner, Safaiwala or Safaiwali and peon, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various Group-C posts of Multi Tasking Staff in the Rural Health Training Centre, Najafgarh, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Rural Health Training Centre, Najafgarh, (Multi Tasking Staff) (Group-C) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	30 (Thirty) * (2021) *Subject to variation dependent on workload. 1. Daftry, 1 (One) 2. Jamadar, 1(One) 3. Chowkidar, 7 (Seven) 4. Mali/Gardener, 4(Four) 5. Bearer,2 (Two) 6. Cleaner, 1(One) 7.Safaiwala/Safaiwali,9(Nine) 8. Peon,5 (Five)	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits would apply in case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable	Two years	(i) By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

orabsorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh —Chairman; 2.Administrative Officer, Rural Health Training Centre, Najafgarh —Member ; 3. One Gazetted Officer, Department of Health and Family Welfare —Member.	Not applicable

[F. No.A.12018/23/2015-MH-II]

RAJ KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद), भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक उनका संबंध ड्राइवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना–**ये नियम,इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण औरवेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकोंऔर अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	03 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनमैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक औरअनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीखअभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूहऔर लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटर कार चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर क्रिया विधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी ख़राबी ठीक करनी आनी चाहिए);	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अथवा पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन** जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशत्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन

(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव;और (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास। वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2**:अनुभव संबधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए,सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जबचयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ में नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) में समूह 'ग' कर्मचारियों मेंसे, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता के मूल्यांकन हेतु चालन परीक्षण के आधार परमोटर कार चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले कर्मचारियों अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) में नियमित समूह 'ग'कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति अथवा	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक,ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र– अध्यक्ष; 2. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र – सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रका प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

पुनर्नियोजन: सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो विहित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति आधार पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र सेना से रिलीज़ किये जाएंगे, जिसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। **टिप्पण: 1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण- 2:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-**II**	02 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा केंद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1. निदेशक,ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र – अध्यक्ष; 2. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र – सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-**I**	02 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। तथा स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में संयुक्त रुप से पंद्रह वर्ष की सेवा की हो; और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र – अध्यक्ष; 2. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र – सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. ए. 12018/19/2015-एमएच-II]

राज कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 2021

G.S.R.72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, (Group 'C'and 'D'posts), Recruitment Rules, 1989, in so far as it relates to the post of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I, in the Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in colomn (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	03 (2021)* * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable.	18 to 25 yearsof age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applicants from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism(the candidate should be able to remove	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. Armed Forces Personnel: deputation or re-

minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th class pass from a recognised Board. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castesandthe Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			employment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix(Rs. 18000-56900) in the Rural Health Training Centre, Najafgarh who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). By deputation or re-employment for Armed Formed Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for consideringconfirmation) consisting of:-** 1. Director, Rural Health Training Centre,-Chairman; 2. Administrative Officer, Rural Health Training Centre -Member; 3. Deputy Director of looking after the Administration work of Rural Health Training Centre, Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit forappointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade-II	02 (2021)* * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non -Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Not selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Director, Rural Health Training Centre, -Chairman; 2. Administrative Officer, Rural Health Training Centre -Member; 3. Deputy Director of looking after the Administration work of Rural Health Training Centre, Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver Grade-I	02 (2021)* * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Nonselection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteenyears in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Central Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Director, Rural Health Training Centre,-Chairman; 2. Administrative Officer, Rural Health Training Centre -Member; 3. Deputy Director of looking after the Administration work of Rural Health Training Centre, Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/19/2015-MH- II]

RAJ KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि.73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध वाहक और खलासी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में वाहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, वाहक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाहक	95* (पंचानवे) 2021 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) संस्थागत रसोईघर में वाहक के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए.11018/15/2019-एमएच- II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R.73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the posts of Bearers and Khalasi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bearer, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi , Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Bearer (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bearer	*95 (Ninety Five) 2021 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18- 27 years of age (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to the age of forty–five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1**: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10th class pass from a recognised Board. (ii) One year experience in an institutional Kitchen as Bearer. **Note:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director looking after the Administration work of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.

[F. No.A.11018/15/2019-MHII]

GANESH KUMAR,Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता	05* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

					और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) किसी सरकारी संस्था या गैर-सरकारी संगठन या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त निजी संस्था से बहु-पुनर्वास कार्यकर्ता या समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता का एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम । **वांछनीय:** किसी सरकारी संस्थान या पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3(21700-69100 रुपये) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रूपये) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	(ii) भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग के अध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य;	

[फा. सं. ए.12018/14/2016-एमएच- II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R.74.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Community Based Rehabilitation Worker in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement .— (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Community Based Rehabilitation Worker, (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .— The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Community Based Rehabilitation Worker.	05* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C',Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instruction or order issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass from a recognised Board. (ii) One year certificate course of Multi Rehabilitation worker or Community Based rehabilitation worker from a Government institution or Non-Government organisation or private institute recognised by Rehabilitation Council of India. **Desirable:** One year experience in any Government institute or registered Non-Government organisation working in the disability field. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation(including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in **level -3** in the pay matrix (21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii)with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in **level -2** in the pay matrix (Rs. 19900–63200) or equivalent in the parent cadre or department ;and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7). **Note 1:-** Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3**:- The officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :-** (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; (2) Head of Physical Medicine and Rehabilitation department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Member; (3) Deputy Director Administration in-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F.No.A.12018/14/2016-MH.-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.23 13:41:16 +05'30'